विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 306

दुर्ग, दिनांक - 21/9/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 117
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री,
नगर निगम भिलाई

आवेदक

बी.पी. क्रमांक : **1001995187**

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, नेहरू नगर जोन

आवेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 17 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1001995187, स्वीकृत भार 3 किलोवाट, के संबंध में विद्युत बिल सही रूप से जारी नहीं किए जाने की शिकायत प्रस्तुत की गई है।

आवेदक द्वारा मुख्यतः मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में की गई औसत खपत के आधार पर बिलिंग, पावर फैक्टर सरचार्ज की वसूली तथा स्वीकृत भार को 3 किलोवाट से बढ़ाकर 5 किलोवाट किए जाने के संबंध में निवेदन किया गया है।

2. निर्विवाद तथ्य

मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैं –

1. उपरोक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई की सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित है।

2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 3 किलोवाट है।

3. उक्त कनेक्शन में सितंबर 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

4. अनावेदकगण के अनुसार उक्त कनेक्शन में पूर्व में स्थापित मीटर अप्रैल 2024 से सितंबर 2025 तक स्टॉपधडिफेक्टिव रहा।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत में उल्लेख किया गया है कि नवंबर 2023 से अगस्त 2025 तक की अवधि में क्रमशः 718 यूनिट, 604 यूनिट एवं 540 यूनिट की खपत के आधार पर बिल जारी किए गए, जबकि उक्त बिलिंग वास्तविक मीटर रीडिंग अथवा समुचित फील्ड सत्यापन के आधार पर नहीं की गई है।

आवेदक द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त कनेक्शन का उपयोग सड़क बत्ती के लिए किया जाता है तथा मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया है, जो उचित नहीं है। अतः उक्त पावर फैक्टर सरचार्ज को लागू टैरिफ एवं नियमों के अनुसार निरस्त/समायोजित किए जाने का निवेदन किया गया है।

इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा कनेक्शन का स्वीकृत भार 3 किलोवाट से बढ़ाकर 5 किलोवाट किए जाने का भी अनुरोध किया गया है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा उक्त कनेक्शन से संबंधित दिसंबर 2022 से अगस्त 2026 तक का बिलिंग डाटा एवं गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर अप्रैल 2024 से अगस्त/सितंबर 2025 तक डिफेक्टिव रहा तथा सितंबर 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं –

1. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में की गई औसत खपत के आधार पर बिलिंग उचित रूप से की गई है?

2. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज की वसूली उचित है?

3. क्या आवेदक के 3 किलोवाट से 5 किलोवाट तक भार वृद्धि के अनुरोध पर अनावेदकगण को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत मीटर डायरी, मीटर रीडिंग एवं बिलिंग गणना पत्रक का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण से निम्न तथ्य सामने आते हैं –

1. डिफेक्टिव मीटर की अवधि की बिलिंग

अभिलेखों के परीक्षण से यह पाया गया कि उपभोक्ता के कनेक्शन में स्थापित मीटर अप्रैल 2024 से सितंबर 2025 तक डिफेक्टिव रहा। उक्त अवधि में कनेक्शन की खपत के आधार पर क्रमशः 604 यूनिट एवं 540 यूनिट के अनुसार बिलिंग की गई है।

मीटर के डिफेक्टिव होने से पूर्व के तीन माह की औसत खपत का परीक्षण करने पर औसत खपत 419 यूनिट पाई गई।

अतः मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में की गई 604 यूनिट एवं 540 यूनिट की बिलिंग के स्थान पर, उपलब्ध पूर्ववर्ती वास्तविक खपत के आधार पर 419 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत को आधार मानकर बिलिंग किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, उक्त अवधि के बिलों की पुनर्गणना कर आवश्यक संशोधन किया जाना उचित है।

2. पावर फैक्टर सरचार्ज

अभिलेखों के परीक्षण से यह भी पाया गया कि मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में उपभोक्ता के बिल में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया है।

जब मीटर की कार्यशीलता ही प्रभावित थी तथा उक्त अवधि में मीटर से संबंधित मापन विश्वसनीय रूप से उपलब्ध नहीं था, ऐसी स्थिति में उक्त अवधि के लिए पावर फैक्टर सरचार्ज की वसूली उचित नहीं है।

अतः मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त कर संबंधित राशि का पुनर्गणना/समायोज़न किया जाना उचित है।

3. स्वीकृत भार में वृद्धि

आवेदक द्वारा उक्त कनेक्शन के वर्तमान स्वीकृत भार 3 किलोवाट से बढ़ाकर 5 किलोवाट किए जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में फोरम का मत है कि आवेदक द्वारा विधिवत आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण द्वारा प्रचलित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार भार वृद्धि के आवेदन का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जानी उचित होगी।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम द्वारा निम्न आदेश पारित किया जाता है –

1. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रैल 2024 से सितंबर 2025 तक मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में की गई बिलिंग की पुनर्गणना करते हुए, मीटर डिफेक्टिव होने से पूर्व की औसत खपत 419 यूनिट प्रतिमाह को आधार मानकर नियमानुसार संशोधित बिल तैयार करें।

2. मीटर के डिफेक्टिव रहने की उक्त अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त कर उसकी राशि की पुनर्गणना की जाए तथा नियमानुसार समायोजन किया जाए।

3. आवेदक द्वारा स्वीकृत भार 3 किलोवाट से बढ़ाकर 5 किलोवाट किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण द्वारा प्रचलित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार भार वृद्धि के आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

4. उपर्युक्त संशोधन एवं पुनर्गणना के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा/वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन किया जाए।

5. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्र तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

6. उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

7. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर सकता है।

8. आदेश पारित।

9. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. राजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग